18.9.25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार बैजनाथ से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से आदेश प्रा. पत्र प.द. लिखवाया जा नहीं सका। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र प.द. दिनांक 30.10.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डी...

30.10.25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी का प्रा.पत्र

...ज्ञा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
	तेजाराम बनाम राज. सरकार मु.नं. 68/24 T.D.
	अन्तर्गत धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रलवाद के बाद नत्थी हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
68/2024	17.10.2024	30.10.2025

बउनवान

तेजराम पुत्र मुरली मीना, निवासी बालाहेडा (पोखरी), तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..सायल/प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, बैजूपाडा, दौसा।

..गैरसायल/अप्रार्थी

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री धर्मसिंह राजपूत।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की भूमि विवादित आराजीयात खसरा सं. 1413 रकबा 0.49 हैक्टे., 1414 रकबा 0.21 हैक्टे., 1415 रकबा 0.07 हैक्टे., 1282 रकबा 0.31 हैक्टे., 2159 रकबा 0.14 हैक्टे., कुल किता 5, कुल रकबा 1.22 हैक्टे. ग्राम बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी सायल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी खसरा सं. 1457 रकबा 0.66 हैक्टे. ग्राम बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित है। आराजी खसरा सं. 1413, 1414, 1415, कुल किता 3, कुल रकबा 0.77 हैक्टे. ग्राम बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा का साबिक खसरा सं. 324 मिन रकबा तीन बीघा एक बिस्वा से मिलकर बना है तथा साबिक खसरा सं. 1457 रकबा 0.66 हैक्टे. ग्राम बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा का साबिक खसरा नम्बर है। उपरोक्त वर्णित साबिक खसरा नम्बर 296, 324, 370 एवं 458 में से 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि को सायल तेजराम के नाम दिनांक 29.10.1977 को जरिये नियमन कैम्प बैजूपाडा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी दौसा के अनुसार नामान्तकरण संख्या 371 के अनुसार नियमन किया गया था। उक्त नियमन जिस वक्त किया गया था, उससे पूर्व से ही सायल उक्त भूमि पर बिना किसी अवरोध के काबिज चला आ रहा था। उक्त भूमि के नियमन होने के बाद सायल उक्त भूमि का खातेदार सन् 1977 से ही हो गया तथा सायल का वक्त नियमन जिस भूमि पर कब्जा था, वह भूमि हाल नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 1457 रकबा 0.66 हैक्टे. के रूप में प्रदर्शित की हुई है तथा अन्य व्यक्तियों के कब्जे वाली भूमि के स्थान पर हाल नक्शा ट्रेस में वक्त तरमीम खसरा नम्बर 1413, 1414 1415 के रूप में प्रदर्शित किया हुआ है। नक्शा ट्रेस में हाल भिन्नता राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपने मनमाने रूप में की गई है जबकि हाल नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 1413, 1414, 1415 जहां दिखा रखे है, वहां पर सायल का कभी कब्जा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

ही नहीं रहा तथा सायल का शुरू से ही कब्जा खसरा नम्बर 1457 के स्थान पर रहा है। इस कारण राजस्व कर्मचारियों को खसरा नम्बर 1413, 1414, 1415 को हाल खसरा नम्बर 1457 के स्थान पर नक्शा ट्रेस को दिखाना चाहिये था जो उनके द्वारा नहीं दिखा कर सायल के कब्जेशुदा भूमि को चारागाह के रूप में दिखा दिया तथा उसकी खातेदारी की भूमि को वहां दिखा दिया जहां लक्ष्मण, इन्दर, जगन पि. रामजीलाल, जाति जांगिड ब्राह्मण, निवासी बालाहेडा के पुश्तैनी मकान एवं अन्य व्यक्तियों के मकानात आदि बने हुये है जबकि साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार उक्त स्थान पर खसरा नम्बर 1457 की भूमि को दिखाना चाहिये था तथा सायल की खातेदारी की भूमि को उसके कब्जेशुदा स्थान पर यानी हाल खसरा नम्बर 1457 के स्थान पर दिखाना चाहिये था लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई उक्त गलती से सायल को भारी क्षति हो रही है तथा उसे अपने खातेदारी के रकबा से बेदखल होने की नौबत आ रही है। राजस्व विभाग को इस तरह राजस्व रिकॉर्ड में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल करने का किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं था जबकि उनके द्वारा किसी से साज अथवा सहवन से इस तरह की कार्यवाही की है जिससे सायल को भारी अपूरणीय क्षति हो रही है। सन् 1977 से पूर्व से ही हाल खसरा नम्बर 1457 वाले स्थान पर काबिज चला आ रहा है जिसमें उसके द्वारा पानी की बोरिंग लगा रखी है तथा विद्युत कनेक्शन करवाया हुआ है जिसका वह नियमित रूप से बिल का भुगतान करता चला आ रहा है तथा अपनी सम्पूर्ण भूमि की सिंचाई करता चला आ रहा है जबकि खसरा नम्बर 1413, 1414, 1415 वाली भूमि पर कभी सायल ने काश्त होते नहीं देखी। उक्त भूमि पर तो पुख्ता मकानात बने हुये है जो कि आबादी के कार्य में उसी समय से ली जा रही है। वादी के खातेदारी के खसरा नम्बर 1413, 1414, 1415 को हाल खसरा नम्बर 1457 के स्थान पर हाल नक्शा ट्रेंस में प्रतिस्थापित किया जाना निहायत ही जरूरी है तथा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाना जरूरी है। विकल्प में अथवा खसरा नम्बर 1457, रकबा 0.66 हैक्टे. किस्म चारागाह से बारानी करते हुये उसे सायल की खातेदारी में दर्ज किया जाना तथा ख.नं. 1413, 1414, 1415 रकबा 0.77 हैक्टे. की किस्म बारानी से चारागाह दर्ज किया जाकर सायल की खातेदारी में से हटाकर उसे चारागांह राजकीय भूमि दर्ज किया जाना न्याय हित में आवश्यक है जिससे कि सायल को उसकी खातेदारी की भूमि कब्जे के अनुसार प्राप्त हो सके जिससे राजकीय भूमि का किसी भी प्रकार से नुकसान होने का भी अंदेशा नहीं है। गलत इन्द्राज के दुरूस्त नहीं होने से सायल को भारी क्षति हो रही है तथा सायल को अपने कब्जेशुदा आराजी से गैरसायल बेदखल करने पर आमादा हो रहे है जबकि सायल का खसरा नम्बर 1457 वाली भूमि पर पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है तथा उसके लम्बे कब्जे को देखते हुये ही उक्त भूमि का नियमन किया गया था जिसके खसरा नम्बर 1413, 1414, 1415 बनाये गये है लेकिन उक्त नम्बरों का स्थान परिवर्तित कर दिया जबकि उनका सही एवं वास्तविक स्थान सायल के कब्जेशुदा वाला ही था। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जा रहा है। सायल द्वारा गैरसायल को उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया जो गैरसायल द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के किसी भी प्रकार की दुरूस्ती किये जाने से इन्कार कर दिया तथा बेदखल करने की धमकी दी। इस कारण सायल को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र के लिये बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 20.09.2024 को गैरसायल द्वारा उक्त गलत इन्द्राज की आड में सायल को बेदखल करने की धमकी दिये जाने से अन्दर अदालत पैदा हुई है। गैरसायल द्वारा दी गई धमकी में यदि वो कामयाब हो गये तो मुझ सायल को भारी क्षति होगी जिसकी पूर्ति मुझे किसी भी प्रकार से होना संभव नहीं है। लिहाजा अपूरणीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में है। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन उसके पक्ष में बखूबी साबित है। प्रार्थना पत्र नियम न्याय शुल्क एवं तलबाना शुल्क पर पेश है। अतः अर्ज है कि गैरसायल को दौराने दावा इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो आराजी खसरा नम्बर 1413, 1414, 1415 के स्थान पर सायल का कब्जा खसरा नम्बर 1457 शुरू से ही चला आ रहा है तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलती से उक्त खसरा नम्बर का आपस में स्थान परिवर्तित किया हुआ है, उसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 1457 रकबा 0.66 हैक्टयर वाके ग्राम बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा से सायल को गलत इन्द्राज के आधार पर बेदखल नहीं करे। सायल के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत मदाखलत बैजा ना तो स्वयं करें और ना ही किसी दीगर व्यक्तियों से ही करावे। मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थी को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

3. प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट अनुसार आराजी खसरा सं. 1457 रकबा 0.66 हैक्टे. भूमि ग्राम बालाहेडा की जमाबंदी संवत 2074–77 के खाता सं. 418 राजकीय कृषि महाविद्यालय बालाहेडा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा सं. 1457 रकबा 0.66 हैक्टे. किस्म गैरमुमकिन महाविद्यालय की भूमि पर वादी का कोई भार नहीं है।

4. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. *व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम मे उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे मे रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा मे विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार, वर्तमान में विवादित आराजी का प्रार्थी दर्ज रिकॉर्ड खातेदार नहीं है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। वादी वाद पत्र के जरिये खसरा संख्या 1457 में स्वयं का कब्ज़ा बताते हुए कब्जे के आधार पर वर्तमान नक़्शे में दुरुस्ती बाबत अनुतोष चाहता है जिसका निर्धारण वाद पत्र में साक्ष्य के उपरान्त गुणावगुण पर किया जाना संभव हो सकेगा। विवादित आराजी बाबत तहसीलदार बैजुपाडा की रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 1457 राजकीय कृषि महाविद्यालय बालाहेडा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इसलिये सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। इस कारण इस स्तर पर अप्रार्थी के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने से प्रार्थी को क्षति नहीं होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। इसलिए प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है।

आदेश

7. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 30.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज